राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ (अजमेर)

राजस्व वाद पत्र संख्या– 46/2019

दायर दिनांकः–23.12.2019

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. मुकेश कुमार पुत्र महेश चन्द जाति जैन निवासी रुपनगढ, तह. रूपनगढ जिला अजमेर।

––वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर।

–– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक–12.04.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है की वादी कि संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम रुपनगढ, तहसील रुपनगढ में स्थित है जिसके खाता संख्या नया 2069 के खसरा नम्बर 1829 रकबा 1.5532 है0 वादी का नाम मुकेश जैन पुत्र हेमराज सही नाम मुकेश कुमार पुत्र महेशचन्द हि0 19/48 व खाता संख्या नया 631 खसरा नम्बर 2077 रकबा 0.2103 है0, खसरा नम्बर 2078 रकबा 0.1860 है0 कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 0.3963 है0 में वादी मुकेश जैन पुत्र सुरेशचन्द सही नाम मुकेश कुमार पुत्र महेशचन्द का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हिस्सा 1/2 दर्ज है। वादग्रस्त आराजीयात में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादी का हिस्सा अन्तर्निहित है।वाद वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी का नाम मुकेश जैन पुत्र हेमराज व मुकेश जैन पुत्र सुरेशचन्द का इन्द्राज किया हुआ है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम मुकेश कुमार पुत्र महेशचन्द है। वाद वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता महेशचन्द के स्थान पर सहवन से उनके दादा हेमराज का नाम पिता के स्थान पर तथा वादी के ताउ (बड़े पिताजी) का नाम सहवन से दर्ज हो गया है। वादी का नाम मुकेश जैन पुत्र हेमराज तथा मुकेश जैन पुत्र सुरेशचन्द के स्थान पर मुकेश कुमार पुत्र महेशचन्द का नाम इन्द्राज करवाकर, इन्द्राज दुरुस्ती करवाना चाहता है। वादी के पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, गैस कनेक्शन व स्कूल रिकॉर्ड में मुकेश कुमार पुत्र महेशचन्द दर्ज है। वादग्रस्त कृषि भूमि के खाते में वादी का नाम मुकेश जैन पुत्र हेमराज तथा मुकेश जैन पुत्र सुरेशचन्द दर्ज होने से वादी के अलग–अलग नाम अंकित होने से प्रार्थी को किसान कार्ड बनवाने, राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान प्राप्त करने में एवं अपनी आराजी के विकास करने में व राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली सुविधाएं, मुआवजा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं, जबकि उक्त मुकेश जैन पुत्र हेमराज तथा मुकेश जैन पुत्र सुरेशचन्द वादी के पिता महेशचन्द के स्थान पर उनके दादा व ताउ (बड़े पिताजी) का नाम सहवन से दर्ज हो गया है, जिसके संबंध में कार्यालय ग्राम पंचायत रुपनगढ के सरपंच द्वारा [illegible] पुत्र जारी किया गया है। वाद वर्णित आराजी में वादी का नाम मुकेश जैन पुत्र हेमराज व मुकेश जैन पुत्र सुरेशचन्द का इन्द्राज किया हुआ है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम मुकेश कुमार पुत्र महेशचन्द है एवं उक्त की खातेदारी उद्घोषणा प्राप्त करके उक्त के इन्द्राज को दुरुस्त [illegible] का नाम मुकेश जैन पुत्र हेमराज व मुकेश जैन पुत्र सुरेशचन्द के नाम [illegible] वादी का नाम मुकेश कुमार पुत्र महेशचन्द के नाम से खातेदारी उद्घोषणा करवाने एवं इन्द्राज दुरुस्ती करवाने के लिए यह वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी ने अपने कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी पर प्रधानमंत्री किसान निधि योजना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.06.30 17:10:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)

की सुविधा हेतु ई–मित्र से जमाबंदी की नकल प्राप्त की तब वादी को जानकारी प्राप्त हुई कि वाद में वर्णित आराजी में वादी का नाम सहवन से मुकेश जैन पुत्र हेमराज तथा मुकेश जैन पुत्र सुरेशचन्द गलत अंकित हो गया है। वादकारण गलत नाम की जानकारी से शुरु होकर निरन्तर जारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम रुपनगढ की जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 1728 में खसरा नम्बर 1829 रकबा 9–12 बीघा (1.5532है0) व खसरा नम्बर 2077 रकबा 1–06 बीघा (0.2103 है0) व खसरा नम्बर 2078 रकबा 1–03 बीघा (0.1860 है0) सुरेशचन्द पुत्र हेमराज जाति महाजन सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज था जिसमें जरिये नामान्तरकरण संख्या 4387 स्वीकृत दिनांक–26.10.2012 बेचान से खसरा नम्बर 1829 रकबा 9–12 बीघा (1.5532है0) में मुकेश जैन पुत्र सुरेशचन्द जाति महाजन (वादी) का हिस्सा 19/48 व खसरा नम्बर 2077 रकबा 1–06 बीघा (0.2103 है0) व खसरा नम्बर 2078 रकबा 1–03 बीघा (0.1860 है0) में मुकेश जैन पुत्र सुरेशचन्द जाति महाजन (वादी) का हिस्सा 1/2 रिकॉर्ड में दर्ज करने की स्वीकृति हुई थी। उक्त नामान्तरकरण संख्या 4387 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वादी के पिता का नाम सुरेशचन्द लिखा था। वर्तमान सेग्रीगेशन जमाबंदी वर्ष 2019 के खाता संख्या 2040 में खसरा नम्बर 2077 रकबा 0.2103 है0 व खसरा नम्बर 2078 रकबा 0.1860 है0 में उक्त नामान्तरकरण संख्या 4387 स्वीकृत दिनांक–26.10.2012 अनुसार ही इन्द्राज मुकेश जैन पुत्र सुरेशचन्द्र हिस्सा 1/2 जाति महाजन सा0 देह खातेदार इन्द्राज है जबकि खाता संख्या 1728 में खसरा नम्बर 1829 रकबा 1.5532 है0 में मुकेश जैन पुत्र हेमराज हिस्सा 19/48 दर्ज कर दिया गया है अर्थात् खातेदार मुकेश जैन के पिता का नाम नामान्तरकरण संख्या 4387 अनुसार सुरेशचन्द दर्ज था जिसे हेमराज कर दिया गया है। ग्राम रुपनगढ की जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 1728 में खसरा नम्बर 1829 रकबा 9–12 बीघा (1.5532है0) व खसरा नम्बर 2077 रकबा 1–06 बीघा (0.2103 है0) व खसरा नम्बर 2078 रकबा 1–03 बीघा (0.1860 है0) सुरेशचन्द पुत्र हेमराज जाति महाजन सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज था जिसमें जरिये नामान्तरकरण संख्या 4387 स्वीकृत दिनांक–26.10.2012 बेचान से खसरा नम्बर 1829 रकबा 9–12 बीघा (1.5532है0) में मुकेश जैन पुत्र सुरेशचन्द जाति महाजन (वादी) का हिस्सा 19/48 व खसरा नम्बर 2077 रकबा 1–06 बीघा (0.2103 है0) व खसरा नम्बर 2078 रकबा 1–03 बीघा (0.1860 है0) में मुकेश जैन पुत्र सुरेशचन्द जाति महाजन (वादी) का हिस्सा 1/2 रिकॉर्ड में दर्ज करने स्वीकृति हुई थी। उक्त नामान्तरकरण संख्या 4387 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक–1865 दिनांक–21.08.2012 के आधार पर खोला गया था जिसमें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वादी के पिता का नाम सुरेशचन्द लिखा था। वर्तमान सेग्रीगेशन जमाबंदी वर्ष 2019 के खाता संख्या 2040 में खसरा नम्बर 2077 रकबा 0.2103 है0 व खसरा नम्बर 2078 रकबा 0.1860 है0 में उक्त नामान्तरकरण संख्या 4387 स्वीकृत दिनांक–26.10.2012 अनुसार ही इन्द्राज मुकेश जैन पुत्र सुरेशचन्द्र हिस्सा 1/2 जाति महाजन सा0 देह खातेदार इन्द्राज है जबकि खाता संख्या 1728 में खसरा नम्बर 1829 रकबा 1.5532 है0 में मुकेश जैन पुत्र हेमराज हिस्सा 19/48 दर्ज कर दिया गया है अर्थात खातेदार मुकेश जैन के पिता का नाम नामान्तरकरण संख्या 4387 अनुसार सुरेशचन्द दर्ज था जिसे हेमराज कर दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.06.30 17:10:29 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वकील वादी की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्यों यथा–ग्राम पंचायत रुपनगढ़ द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक–17.12.2019, आधार कार्ड नम्बर 992817062631, निर्वाचन पहचान पत्र क्रमांक–UHK/0009704, दिनांक–29.01.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रुपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

2014 को जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक की प्रति के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार जाकर ग्राम रुपनगढ के खसरा नम्बर 1829 रकबा 1.5532 है0 में वादी के दर्ज नाम मुकेश जैन पुत्र हेमराज के स्थान पर मुकेश जैन पुत्र महेश चन्द व खसरा नम्बर 2077 रकबा 0.2103 है0, खसरा नम्बर 2078 रकबा 0.1860 है0 में वादी के दर्ज नाम मुकेश जैन पुत्र सुरेश चन्द के स्थान पर मुकेश जैन पुत्र महेश चन्द दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.06.30 17:10:29 IST
Reason: SelfAttested